# डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 प्रांशु पाठक बनाम हरिओम वगै0

दावा बाबत् 53 ,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 67 / 2025

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददइ व .................... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————— फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27/06/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 27/6/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

| मुद्दई | रुपया | पैसा | मुद्दालय | | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अराजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बावत इजराय हुक्म नामा<br>मुतफर्रिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>म्हनताना वकील<br>खर्चा गवाहांन<br>फीस कमिश्नर<br>बवत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रांशु पाठक पुत्र प्रदीप जाति ब्राह्मण निवासी हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर — वादी

बनाम

1. हरिओम कटारा पुत्र श्यामसुन्दर कटारा ब्राह्मण निवासी गोविन्द नगर मथुरा रोड भरतपुर
2. चेतराम पि0 निरंजनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
3. नटवरसिंह पि0 निरंजनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
4. नबाव सिंह पुत्र सुगडसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
5. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

27/6/25

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 67 / 2025
किस्म दावा 53,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक ....27.6.25....

1. प्रांशु पाठक पुत्र प्रदीप जाति ब्राह्मण निवासी हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1. हरिओम कटारा पुत्र श्यामसुन्दर कटारा ब्राह्मण निवासी गोविन्द नगर मडरपुर रोड भरतपुर
2. चेतराम पि0 निरंजनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
3. नटवरसिंह पि0 निरंजनसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
4. नबाव सिंह पुत्र सुगडसिंह जाति जाट निवासी सेवला तहसील नदबई
5. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री पूरनमल एड.(वादी की ओर से)

श्री जगदीश एड.(प्रतिवादी की ओर से)

**निर्णय** दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 27.06.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल खाता संख्या 20 के आराजी खसरा संख्या 426 रकवा 0.4[illegible] 427 रकवा 0.40, आराजी खाता संख्या 134 [illegible] 51 के ख0 नं0 529 / 428 रकवा 0.55 वाके ग्राम सेवला तहसील न[illegible] नं0 कि वादी व प्रतिवादी की सम्मि[illegible] में स्थित है। जो [illegible] खातेदारी [illegible] है.। वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

27/6/25

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 के अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है।

वादी व प्रतिवादी कों कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

27/6/25

(गंगाधर मीणा R.A.S.)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:56:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner